बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय,एवं सम्बन्द्ध अस्पताल सागर (म.प्र.)
शिवाजी वार्ड,तिली रोड,सागर (म.प्र.)

निविदा फार्म

पी.पी.पी. मॉडल (लाण्ड्री निविदा)

नियम एवं शर्ते

निविदा आवेदन पत्र क्रमांक .... रसीद क्रमांक / दिनांक

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय,सागर (म.प्र.)
निविदा प्रपत्र

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय,सागर में पी.पी.पी मॉडल लाण्ड्री की स्थापना हेतु निविदा :

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अतिंम दिनांक	:–	26.10.2015 को सायं 5:00 बजे तक
प्रिविड मिंटिग	:–	02.11.2015 को दोपहर 12.00 बजे
पूरी निविदा प्रपत्र जमा करने का दिनांक	:–	06.11.2015 को दोपहर 12.00 बजे तक
प्राप्त निविदाए संभवंत : खोलने का दिनांक	:–	06.11.2015 को दोपहर 12.30 बजे तक
धरोहर राशि	:–	2.00,000 (रूपये दो लाख) अवधि 15
निविदा अवधि	:–	15 वर्ष अथवा (नई निविदा स्वीकृत होने तक)

स्थान :–

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधीकारी
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय,सागर (म.प्र.)

निविदा आवेदन प्रपत्र

निविदाकर्ता अपने स्वंय के लेटर हेड पर इस प्रारूप में निविदा प्रपत्रों कि शर्तानुसार प्रस्तुत करें।

प्रति,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
बुन्देलखण्ड चिकित्सा चिकित्सालय
सागर म.प्र

विषयः:– पी.पी.पी. मॉडल लाण्ड्री की स्थापना हेत पिविदा।
संदर्भः– स्थानीय समाचार पत्र दैनिक......... दिनांक .... के संस्करण में प्रकाशित आपका विज्ञापन कमांक............. दिनांक.............

श्रीमान्

विषयांतर्गत हम/मैं पी.पी.पी. मॉडल लाण्ड्री की स्थापना हेतु निविदा –आगामी 15 वर्ष हेतु संलग्न प्रपत्र में दर सहित अपना निविदा आवेदन सहर्ष प्रस्तुत करते है। मुझे निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्ते मंजूर है।

1. निविदाकर्ता का नाम ....
2. संस्था/कम्पनी का नाम व सील..
3. संस्था /कम्पनी का नाम व पूर्ण पता...
4. मोबाइल नं.................... कार्यालय फोन नं............................... निवास फोन नं.........................
   फैक्स नं. ई मेल एड्रेस ....

दिनांक ......
स्थान ....

हस्ताक्षर
संस्था के निविदाकर्ता का नाम..........................
पताः– ....
संस्था की सील ....

आवेदन प्रस्तुत करना:– Tender फार्म अहस्तांतरित है (Non Transferable)

1. प्रत्येक लिफाफे पर पी.पी.पी. मॉडल लाण्ड्री की स्थापना हेतु निविदा लिखा जाना आवश्यक है।
2. निविदा आवेदन जमा करते समय निम्न संलग्न जमा करना अनिवार्य है।
3. लिफाफों पर कमशः ए.बी. व सी बडे –बडे साफ अक्षरों में अकित किया जावेगा। उपरोक्त लिफाफों ए.बी.सी को एक बडे –बडे लिफाफे में रखकर उसको लिफाफों डी अकित करे।
4. लिफाफे ए में अर्नेस्ट मनी राशि रू. 2,00,000 (रूपयें दो लाख मात्र) की 05 वर्ष 07 माह अवधि तक की एफ.डी.आर जो सागर में देय हो व निविदाकर्ता तथा अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी के हित में जारी करते हुए हो, उक्त धरोहर राशि का प्रत्येक 05 वर्ष 07 माह के अन्तराल में नवीनीकरण किया जावेगा।

2. लिफाफे बी में निम्नलिखित सत्यापित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
   1. मूल निविदा प्रपत्र (जो कर्यालय द्वारा बेचा गया था) के प्रत्येक पन्ने पर संस्था के सक्षम /अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर संस्था की सील लगावें।
   2. कर्म/संस्था का रजिस्ट्रेशन (छायाप्रति) इसमें व्यवसाय कॉलम में निविदाकृत कार्य का उल्लेख होना अनिवार्य है। ऐसा नही होने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
   3. तुरंत पूर्व के तीन वर्षो वर्ष 2012–13 2013–14 2014–15 की आयकर रिर्टन एवं स्थायी लेखा संख्या (PAN No-) की प्रति
   4. सेल्सटेक्स का रजिस्ट्रेशन (ज्पद छव. की प्रति)
   5. वैध वेट टेक्स क्लियरेन्स प्रमाण पत्र
   6. फर्म की वार्षिक टर्न ओवर रूप्यें 20 लाख संबंधी अभिलेख पिछले दो वर्षो का जिसे सी ए द्वारा प्रमाणित किया गया हों।
   7. 100 रूपये राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टेम्प पेपर पर ‘शपथ पत्र मूलत’
   8. अनुभव प्रमाण पत्र में संस्था को केन्द्रीय अथवा राज्य ‘शासन के ‘शासकीय उपकम में 1,00,000/रू. (एक लाख मात्र) प्रतिमाह निविदा संबंधी कार्य करने का विगत तीन वर्ष का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।
   9. निविदा कर्ता संस्था के निविदाकृत कार्य संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा पी. पी.पी. मंडल का कार्य करने के संबंधं में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चहिए।

3. **लिफाफा सी**
   1. निविदाकर्ता संस्था को अपनी न्यूनतम दरें 15 वर्ष के लिये प्रस्तुत करनी होगी। कार्य की समीक्षा निरतर की जावेगी। कार्यसंतोषजनक होने पर प्रति वर्ष 05 प्रतिशत की बढोतरी प्रस्तुत दरों में की जावेगी। दरें बिना कोई कांट–छांट एवं ओवरराईटिंग के प्रस्तुत करें संलग्न दर सूची फार्म में देना आवश्यक है। सरल कमांक 01 से 18 तक दी गई दरों के कुल योग के न्यूनतम दर प्रस्तावक दर को ही न्यूनतम दर माना जावेगा।
   2. आवेदनकर्ता को अपना पता सत्यापन योग्य होना चाहिए।
   3. पी.पी.पी. मॉडल लाण्ड्री के रख–रखाव को सुचारू रूप से संचालन हेतु फर्म को 24 घण्टे कर्मचारियों की आवश्यकता पडने पर तुरंत सुधार करना होगा। तथा कर्मचारी 24 घण्टे वही रहेगें तथा प्लांट में आई खरावी को 48 घण्टों के अंदर ठीक कराना होगा ।
   4. निविदाकर्ता को संलग्न ‘शपथ पत्र प्रारूप में न्यूनतम दर/किसी संस्था में जॉच जारी रहने /काली सूची में न होने संबंधी ‘शपथ पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

नियम व शर्तें :–

1. बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर परिसर में मैकेनिकलाईज लाउण्डी जिसकी क्षमता 150 कि.ग्रा. कपडा प्रति घंटा हो उसकी स्थापना हेतु न्यूनमत 15 वर्ष का अनुबंध किा जायेगा कार्य संतोषप्रद होने पर प्रतिवर्ष कर्य अवधि बढायी जा सकती है।
2. रूपयें 2 लाख का एफ डी आर जो कि पांच वर्ष (67 माह) अवधि की हो जिसका प्रत्येक 05 वर्ष 07 माह में नवीनीकरण किया जावेगा।
3. निविदा दाता का प्रस्तावित प्लांट मशीनरी एवं उसकी सूची के साथ उनका अनुमानित मूल्य एवं विस्तृत लोर प्लान देना अनिवार्य है।
4. निविदा दाता के द्वारा स्थापित किए जा रहे प्लांट की क्षमता इस प्रकार होनी चाहिए कि आपातकालीन स्थिति में तीन घन्टे में वस्त्रों की लाउण्डी उपलब्ध कराई जा सके।
5. निविदा दाता को अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्लांट स्थापित करने के लिए स्थान निःशुल्क दिया जावेगा एवं प्लांट के संचालन के लिए सफल निविदाकार को रोड का निर्माण बिजली पानी तथा स्टाफ आदि की नियुक्ति निविदादाता को स्वंय करनी होगी।
6. बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में वर्तमान में लगभग 750 पलंग है जिनकी न्यूनतम ओक्यूपेन्सी 80 प्रतिशत अथवा वास्तविक जो भी अधिक हो के आधार पर प्रति पलंग प्रयोग में आने वाले वस्त्र (एक चादर,एक पिलो कवर) एवं ऑपरेशन थियेटर में प्रयोग में आने वाले वस्त्रों का वास्तविक आधार पर भुगतान किया जायेगा।
7. यदि प्लांट एवं मशीनरी में कोई तकनीकि खराबी आती है तो वैकल्पिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा एवं इस पर आने वाले व्यय का भार निविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा।
8. निविदादाता प्लांट के रखरखाव एवं मैन्टेनेन्स और उसके सफल संचालन के लिए स्वंय उत्तरदायी होगा एवं उसकी चैकिंग ,मेन्टेन्स एवं अन्य प्रकार के सभी दशाओं में भुगतान निविदादाता को स्वंय वहन करना होगा।
9. निविदा दाता द्वारा जो दरें प्रस्तुत की जाएं उसमें सभी टैक्स सम्मिलित होना आवश्यक है।
10. स्वीकृत निविदा अनुबंध निवदि खुलने की दिनांक से ठेक की अवधि (15 पन्द्रह वर्ष) तक मान्य होगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष कार्य संतोषजनक होने पर प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की निविदा दरों में ब ढोत्तरी की जावेगी।
11. निविदा दाता को अस्पताल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे स्थान के अलावा कोई भी अन्य संसाधन उपलब्ध नही कराये जायेगें।
12. प्लांट मशीनरी एवं भवन के साथ कपडों का बीमा निविदाकार द्वारा स्वंय कराना होगा।
13. लाउन्ड्री स्थापना हेतु चिकित्सालय प्रशासन द्वारा सफल निविदाकार को लगभग 2000 वर्गफुट कवर्ड एरिया एवं 3000 वर्गफुट खुला एरिया दिया जायेगा।
14. निविदा खुलने की दिनांक से निर्माण कार्य से लेकर समस्त आवश्यक मशीनों की स्थापना कर लाउन्ड्री कार्य प्रारंभ करने की अधिकतम अवधि दो माह होगी।
15. बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के आलावा अन्य किसी भी संस्था के कपडे आप धो सकते है तथा बाहर की धुलाई में जो धन आयेगा उसका 20 प्रतिशत महाविद्यालय में जमा करना होगा ।
16. लाउन्ड्री कार्य हेतु आवश्यक ओवरहंड टैंक ,पानी हेतु इनलेट आउटलेट कनेक्शन की व्यवस्था स्वंय निविदादाता को अपने व्यय पर करानी होगी।

17. सफल निविदा:दाता को लाण्ड्री कार्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मापदण्डों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
18. निविदादाता को फुलटाईम टेलर नियुक्ति करना होगा जो स्वंय के खर्चे पर रखना होगा , जिसका कार्य चिकित्सालय के फटे कपडों को सिलाई करना होगा।
19. निविदादाता को लाउण्ड्री कार्य में उपयोग किये गये बिजली पानी के देयक का स्वंय भुगतान करना होगा जिस हेतु उस स्वंय अपने व्यय पर बिजली पानी कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।
20. निविदादाता को प्लांट के संचालन स्टाफ आदिक की नियुक्ति स्वंय करनी होगी एवं उन पर लागू श्रम नियमों के अनुसार भुगतान देयय होगा तथा नियमानुसार पी.एफ. एवं ई.एस.आई का कटोत्रा किया जाना होगा। कार्य में बाल श्रमिको नियमों का पालन करना होगा।
21. प्लाट मशीनरी एवं भवन के साथ कार्यरत कर्मचारियों का बीमा निविदादाता को अपने स्वयं के व्यय पर अनिवार्य होगा। बीमा संबंधी प्रपत्र कार्य आरंभ करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
22. वस्त्रों की लाउन्ड्री के दौरान उसमें क्षति होने की स्थिति में उस वस्त्र की वास्तविक कय कीमत अनुसार निविदादाता से क्षति पूर्ति की जावेगी एवं देर से वस्त्र देने पर प्रति वस्त्र देने पर 01/- रोज अर्थदण्ड देना होगा।
23. प्लाट में कभी कोई दुर्घटना होने की स्थिति में चिकित्सालय के वस्त्रों को नुकसान होने की स्थिति में उसकी वास्तविक कीमत की भरपाई निविदादाता द्वारा की जावेगी।
24. प्लाट की निर्धारित अग्निशमक यंत्रों की स्थापना निविदादाता को अपने स्वयं के व्यय पर करनी होगी।
25. ठेके की अवधि समाप्त उपरांत निविदादाता को अपना संपूर्ण सेटअप हटाने हेतु अधिकतम 01 माह का समय दिया जावेगा। ठेके की समाप्ति उपरांत निविदादाता को परिसर रिक्त कर स्वच्छ हालत में अस्पताल में प्रबंधन को सौंपना होगा।
26. बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के अंतर्गत विभिन्न विभागों/वार्डो में उपयोग होने वाले वस्त्रों के लाउन्ड्री मय इस्त्री अनिवार्य रूप से करनी होगी।
27. स्वीकृत निविदादाता को निविदा स्वीकृति सूचना मिलने के पश्चात अधिकतम 15 दिवस के भीतर अनुबंघ निर्धारित प्रपत्र पर निष्पादित करना होगा।
28. निविदादाता अनुबंध अवधि के बीच में ही कार्य छोडकर चला जाता है तो उसकी धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। भविष्य में उक्त फर्म को बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के लिये ब्लेक लिस्टेड किया जावेगा।
29. लाउन्ड्री कार्य के देयकों का भुगतान मासिक आधार पर किया जावेगा। बीच में निविदादाता को किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जावेगां।
30. निविदादाता को प्रतिदिन सुबह 9.30 बजे तक वस्त्र इंचार्ज स्टिर से प्राप्त करना होगा। वस्रें की लाउण्ड्री प्श्चात् अगले दिन सुबह 9.30 बजे तक उन वस्त्रों को डिलीवरी देना होगा।
31. धुलाई के दौरान कोई वस्त्र खों जाता है अथवा कट फट जाता है तो नवीन वस्त्र के मूल्य की राशि के बराबर का कटौत्रा निविदादाता के मासिक भुगतान में से किया जावेगा।
32. धुलाई के पश्चात् वस्त्रों की गुणवत्ता का समय समय पर निरीक्षण किया जावेगा। यदि धुलाई कार्य में गुणवत्ता की कमी पाई जाती है तो इस प्रकार प्राप्त धुले वस्त्रों का भुगतान नहीं किया जावेगा, जिसे पुनः धुलाई कर लौटाना हो, जिस हेतु किसी प्राकर का पृथक से भुगतान नहीं किया जावेगा एवं निविदादात पर अर्थदण्ड भी आरोपित किया जावेगा। 500 रूपये अर्थदण्ड देना होगा।

33. अस्पताल में धुलाई हेतु वस्त्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सूची नाम व उनके पते सहित सत्यापित कराकर निविदादाता को कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपरोक्त व्यक्तियों का नाम पुलिस विभाग की सूची में न हो। तथा कर्मचारी का ड्रेस कोड होना अनिवार्य होगा।

34. निविदादाता वस्त्रों की गुणवत्तापूर्ण धुलाई करने में यदि असफल होता है तो उस स्थिति में कार्यालय द्वारा गठित समिति आंकलन बिना किसी पूर्व सूचना तत्काल प्रभाव से ठेका समाप्त कर दिया जावेगा व शेष अवधि का ठेका द्वितीय निविदादाता को दिया जावेगा। ठेके संधारणा में यदि अधिक राशि व्यय करनी पड़ी तो स्वीकृत ठेके की अंतर राशि पूर्व निविदादाता (स्वीकृत निविदादाता) से वसूल की जावेगी। साथ ही जमा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

35. स्वीकृत निविदादाता की धरोहर राशि ठेका संचालन अवधि तक जमानत राशि के रूप में जमा रहेगी जो कि संचालन अवधि की सफलतापूर्व समाप्ति उपरांत बिना व्याज के वापिस की जावेगी। अन्य निविदादाताओं की धरोहर राशि निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् बिना ब्याज के वापिस कर दी जावेगी।

36. लाउण्ड्री कार्य का देयह प्रत्येक वार्ड/ओटी अनुसार पृथक–पृथक तैयार कर तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा तथा उन्हें संबंधित वार्डो/ओटी से इंचार्ज स्टिर से सम्यापित कराना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही भुगतान की प्रकिया प्रांरभ की जावेगी।

37. निविदादाता निविदा शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसका ठेका निरस्त किया जाकर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। एवं वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।

38. किसी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर का मान्य होगा ।

39. समस्त विवादों के निराकरण हेतु न्यायालय क्षेत्र जिला न्यायालय सागर ही होगा।

1.<u>दण्ड/अनुबंध</u> का निरस्तीकरण–

1. अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के पास किसी भी बिना कोई कारण बताये एक माह के नोटिस देने पर ठेका समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
2. आर्थिक दंड बार बार किये जाने के पश्चात् भी कार्य में सुधार नहीं लाने पर निविदाकर्ता की निविदा निरस्त की दी जावेगी।

दिनांक :– ....

स्थान :– ....

अधिष्ठाता
एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय,
सागर

प्रपत्रों का विवरण

लिफाफा "बी"

II. लिफाफे बी में निम्नलिखित सत्यापित (Notrized)दस्तावेज प्रस्तुत करें।

1. मूल निविदा प्रपत्र (जो कार्यालय द्वारा बेचा गया था।) के प्रत्येक पन्ने पर संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर संस्था की सील लगावें।
2. फर्म/संस्था का रजिस्ट्रेशन (छायाप्रति) इसमें व्यवसाय कॉलम में निविदाकृत कार्य का उल्लेख होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
3. तुरन्त पूर्व क तीन वर्षों की आयकर रिटर्न का सत्यापित प्रति एवं स्थायी लेखा संख्या (Pan No.) की प्रति।
4. सेल्सटैक्स का रजिस्ट्रेशन (Tin no की प्रति)।
5. वैध वेट टेक्स क्लियरेन्स प्रमाण पत्र
6. फर्म की वार्षिक टर्न ओवर रूप्ये 20 लाख संबंधी अभिलेख पिछले दो वर्षों का जिसे सी ए द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
7. 1000 रूपये राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टेम्प पेपर पर 'शपथ पत्र मूलतः
8. अनुभव प्रमाण पत्र में संस्था को केन्द्रीय अथवा राज्य 'शासन के 'शासकीय उपकम में 1,00,000/- (रू. एक लाख मात्र) प्रतिमाह का विगत जीन वर्ष निविदा संबंधी कार्य करने का प्रमाण पत्र लग्राना अनिवार्य है।

निविदाकर्ता

नाम एवं पूर्ण पता.....................................

संस्था की सील ....

धरोहर राशि का विवरण (प्रारूप)
लिफाफा "ए"

1. राशि रूपये ....
2. एफ.डी के आर (05वर्ष 07 माह) की अवधि..
3. जारी होने का दिनांक ....
4. जारी करने वाले बैंक का नाम व शाखा का नाम/पता...
   ....
5. भुगतान का स्थान..

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पूर्ण पता ....

....

....

संस्था की सील ....

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर म.प्र.

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में पी.पी.पी. मॉडल लाण्ड्री की स्थापना हेतु निविदा

फर्म का नाम :–...

प्रोप्राइटर /पाटर्नस का नाम :– ....

पता :– ....

फोन नं. .... फैक्स नं...

(वेट टेक्स की दरें इसमें सम्मिलित होगी तथा वेट टैक्स की राशि देयक में अलग दर्शायें वेट टैक्स काटकर देयक का भुगतान किया जावयेगा।)

दर सूची

(लिफाफा सी में रखे)

कमाक	वस्त्र का नाम	प्रति नग दर अंकों में	प्रति नग दर शब्दों में
1	बेड ‘शीट		
2	ओटी मास्क		
3	ओ.टी गाउन		
4	टॉवेल		
5	पर्दा		
6	तकिया कवर		
7	ड्रा ‘शीट		
8	एप्रिन		
9	ओ.टी.‘शर्ट		
10	ट्राउजर्स		
11	साडी		
12	कबंल लाउण्ड्री		
13	कबंल ड्रायक्लिनिंग		
14	लैगिग्स		
15	हैड टॉवेल		
16	कुर्ता		
17	पयजामा		
18	मेज पोश		
19	ओ.टी. केप		

सहपत्रः–

दिनांक :–

स्थानः–

नोट :–

1. वैट टैक्स की दर पृथक से अंकित करे तथा अन्य कर व ‘शुल्क सहित दरें प्रस्तुत करें।
2. सरल कमांक 01 से 18 तक दी गई दरों के कुल योग के न्युनतम दर प्रस्तावक दर को ही न्यूनतम दर माना जावेगा।

दिनांक :–

स्थानः–

हस्ताक्षर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

संस्था के निविदाकर्ता का नाम ....

पता ....

संस्था की सील ....

घोषणा पत्र

1. मैं/हम भारत के नागरिक हूँ/है।
2. मैं /हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा के लिए सक्षम हूँ/है।
3. मुझे /हमारी संस्था को किसी भी 'शासकीय/अर्द्धशासकीय /स्वशासी संस्था द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है।
4. मैं /हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो न तो अभिकर्ता हूँ।/है और न ही उसके लिए कार्य करता हूं/करता है।
5. मेरे/ हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत नहीं की गई है। यदि अन्य कोई शर्त प्रस्तुत की गई है, तो उसे अमान्य किया जाये।
6. मेरे/ हमारे द्वारा इस निविदा में भरी दर से कम दर की निविदा म0प्र0 राज्य की किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
7. हमारी संस्था के विरूद्व न्यायालय/शासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जांच लंबित नहीं है।

गवाह के हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम व पता ....
....
....
2. गवाह का नाम व पता ....
....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

1. संस्था के सक्षम अधिकारी का नाम व पता
....
....
2. संस्था के सक्षम अधिकारी का नाम व पता
संस्था की सील ....

चेक लिस्ट
(संलग्न दस्तावेज)

1. लिफाफा A में धरोहर राशि संस्था तथा अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के नाम पर रूपये 200,000 (रूपये दो लाख) की बैंक ....की ....के0 ....पांच वर्ष सात माह अवधि के लिये सावधी जमा (मूलतः) जो कि अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालया चिकित्सालय सागर के नाम प्लेज की गई है।	हॉ/नहीं
2. लिफाफा B में मूल निविदा प्रपत्र एवं चाहे गये आवश्यक दस्तावेज में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर व सीलयुक्त मूलतः	
1. फर्म/संस्था का रजिस्ट्रेशन (छायाप्रति) इसमें व्यवसाय कॉलम में निविदाकृत कार्य का उल्लेख होना अनिवार्य है।ऐसा नहीं होने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।	हॉ/नहीं
2. तुरंत पूर्व के तीन वर्षो की आयकर रसीद एवं स्थायी लेख संख्या (PAN No.) की प्रति।	हॉ/नहीं
3. सेल्सटेक्स का रजिस्ट्रेशन (Tin No.) की प्रति।	हॉ/नहीं
4. वेट टैक्स क्लियरेन्स प्रमाण–पत्र	हॉ/नहीं
5. फर्म की वार्षिक टर्न ओवर रूप्ये 20 लाख संबंधी अभिलेख	हॉ/नहीं
6. 100 रूप्ये राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टेम्प पेपर पर शपथ पत्र मूलतः	हॉ/नहीं
7. अनुभव प्रमाण पत्र प्रतिलिपि	हॉ/नहीं
3. लिफाफा C में संलग्न दर सूची	हॉ/नहीं
4. लिफाफा D में A+B+C	हॉ/नहीं